न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—120/2021 प्रार्थना पत्र

1—श्री शिवनारायण पुत्र गोकल लाल ब्राहम्ण निवासी आकोला पुरावतो का तहसील व जिला भीलवाडा।

बनाम

1— श्री अरविन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण तिवाडी निवासी ठेकेदार निवासी माणिक्यनगर भीलवाडा हॉल चारभुजा मन्दिर के सामने पुरावतो का आकोला तहसील व जिला भीलवाडा।

2— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता प्रार्थी श्री संजय जोशी

:: निर्णय ::

दिनांकः—07.03.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की आराजियात ग्राम आकोला प0ह0 सिदडियास भू.अ.नि. क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 431 में आराजी संख्या 308/1 रकबा 0.5943 है0, आराजी संख्या 308/3 रकबा 0.1644 है0, आराजी संख्या 309/1 रकबा 0.3035 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.0622 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 की आराजी शामलाती थी, जिसके बाद विभाजन बटा नम्बर कायम किये गये व प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात में आने जाने का एक मात्र रास्ता जो कि गांव से खेतो में जाने वाले आम रास्ते से होकर अपनी आराजी नम्बर 308/3 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 308/2 की दक्षिणी मेड से होकर अपनी आराजी नम्बर 308/1, 309/1 में आता जाता है व साथ ही विपक्षी संख्या 01 जो कि अपनी आराजी नम्बर 308/2 में प्रार्थी की आराजी नम्बर 308/3 की दक्षिणी मेड से होकर आता जाता था व उक्त रास्ते का अनवरत उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थी की आराजियात में आने जाने का उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है। विपक्षी संख्या 01 द्वारा आराजी नम्बर 308/2 एवं 308/3 के उत्तरी दिशा में सटमा आराजी नम्बर 329/2 को कय की गयी, उक्त आराजी नम्बर 329/2 से आवागमन करने लग गया व विपक्षी संख्या 01 जो कि प्रार्थी को उक्त रास्ते का आवागमन में व्यवधान पेदा करने लग गया व अपनी आराजी संख्या 308/2 के पूर्वी व पश्चिम मेड पर तारबंदी कर प्रार्थी की आराजी नम्बर 308/1 व 309/1 में आने जाने के रास्ते को अवरूद्व करने पर आमादा है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये व रास्ते को बंद करने की धमकी दी। प्रार्थी की आराजियात में आने जाने का कोई रास्ता नही है व विपक्षीगण जबरन मौके पर रास्ते को अवरूद्व करने पर आमादा है व यदि रास्ते को बंद कर दिया गया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तो प्रार्थी अपने खेतो में फसल काश्त नही कर पायगा व प्रार्थी व उनका परिवार जो कि खेती पर निर्भर है, जिनके भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। इस कारण से विपक्षीगण को रास्ता अवरूद्व नही करने हेतु पाबन्द किया जावे।

अन्त में निवेदन किया कि सरहद आकोला प0ह0 सिदडियास भू0अ0नि0 महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 308/1, 309/1 पर आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 308/2 की दक्षिणी मेड से 15 फीट चौडा नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड(नक्शे) में दर्ज किये जाने का ओदश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थी की और से जवाब प्रस्तुत हुआ जो शामिल फाईल किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी अधिवक्ता ने बहस में भाग नही लिया। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र 251–ए पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी की आराजियात ग्राम आकोला प0ह0 सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 308/1, 309/1 पर आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 308/2 की दक्षिणी मेड से 15 फीट चौडा नया रास्ता कायम करा रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी दर से गणना करा मुआवजा का निर्धारण कर जमा कर विपक्षीसंख्या 01 के खाते में से रास्ते हेतु भूमि दर्ज कराई जाने की प्रार्थना की गई है।

विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपने जवाब दिनांक 19.4.2022 में अंकित बिन्दओ को दौहराते हुए बताया कि प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 308/1, 309/1 पर आने जाने व काश्त के लिए पुर्व से ही आराजी संख्या 311 व 326 के मध्य स्थित सुलभ एवं कम दूरी का रास्ता उपलब्ध है तथा विपक्षी की आराजी संख्या 308/3 पर भी प्रार्थी सरकारी आम रास्ते से होकर बिलानाम भूमि से आते जाते एवं काश्त करते चले आ रहे है। अतः प्रार्थी का का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क का खारिज किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी संख्या 01 के जवाब का अध्ययन किया गया उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन् किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति परीक्षण किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भीलवाडा से निम्न बिन्दुओ पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे :– प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।
2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करावे :–

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार निकटतम रास्ता आ.नं. 326 मे से होकर पक्की सडक पर मिलता है पक्की सडक आ.नं. 324 के खातेदारी में निकली हुई है परन्तु प्रस्तावित रास्ता का वादी हमेशा से उपयोग करता आया है।

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थी की आराजियात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावे :– तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण रास्ते की भूमि की एवज में प्रार्थीगण की आराजियात नही चाहते है।

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामे से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करे एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावे :– तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार राजीनामा से रास्ता दिलाने की कोशिश की परन्तु सहमति नही हो पाई, प्रस्ताव तैयार कर संलग्न किया गया।

5. सहमति नही होने की स्थिति में लघुतम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल (लम्बाई X चौडाई) एवं क्षैत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षैत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें।(मय पर्चा मौका):–तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार आ.नं. 308/2 की दक्षिणी मेड से प्रस्तावित रास्ता सबसे निकटतम है, रास्ते की चौडाई 16.5 फीट व लम्बाई 470.25 फीट अर्थात 0.0720 हैक्टेयर भूमि है। उक्त आराजी की डीएलसी दर 262846/– रूपये प्रति हैक्टेयर है प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डीएलसी दर से 18924–00 रूपये को दुगुना करने पर 37848/– रूपये बनती है। (मौका पर्चा, नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस संलग्न है)

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा आकोला प0ह0 सिदडियास भू.अ.नि. महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 308/1, 309/1 भूमि पर आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी संख्या 308/2 से रास्ता चाह रहा है। उक्त रास्ता प्रार्थी उपयोग करते आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिए कोई रास्ता नही है। तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नही है। आराजी नं0 308/2 विपक्षी संख्या 01 की खातेदारी कृषि भूमि है। अतः मौजा आकोला प0ह0 सिदडियास भू.अ.नि. महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 308/1, 309/1 पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नही होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विधमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1–,ख कोई कोई अभिधारी या अभिधारियो का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

1. यह अत्यधिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है, और

II. अन्य खातेदार की जोत मे से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा, आवेदक, को अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फीट नीचे पाईप लाईप बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि मे से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नही किया जावे तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फीट से अधिक चौडा न हो, बनाने के लिए या विधमान मार्ग को तीस फीट से अनधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहॉ उप–धारा(1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौडा करने को अधिकार मंजूर किया जाय वहॉ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं मे से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही करेंगे।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा आकोला प0ह0 सिदडियास भू.अ.नि. महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा के हल्के बेरूनी स्थित है जिसके आराजी नं0 308/1, 309/1 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की मौजा आकोला के आ.नं. 308/2 है। जिसका रकबा लम्बाई 470.25 फीट व चौडाई 16.50 फीट का कुल क्षैत्रफल 0.0720 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक रास्ते हेतु स्वीकृत की जाती है। उक्त भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से राशि 18924—00 रूपये बनती है जो डीएलसी दर का दोगुना करने पर 37848—00 राशि रूपये जो कि अप्रार्थी संख्या 01 को देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो। नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 07..03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Ahad

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर भीलवाडा